1

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/41/2017

1. बाबू खां पुत्र श्री खाजू खां, आयु लगभग 70 वर्ष, जाति–मुसलमान, निवासी– सोनियां वाली ढाणी, ग्राम–लूनियावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

–वादिनी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री रामपाल, आयु लगभग 70 वर्ष
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री कल्याण सहाय, आयु लगभग 55 वर्ष
3. भगवान सहाय पुत्र श्री कल्याण सहाय, आयु लगभग 52 वर्ष
4. महेश कुमार पुत्र श्री कल्याण सहाय, आयु लगभग 48 वर्ष
   समस्त जातियान् ब्राह्म्ण, निवासीयान् बागडों की ढाणी, ग्राम–लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक** 03/12/2021

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 151 व पुराना 137 में खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर [illegible] रिकॉर्ड में अंकित है व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की आराजी कृषि [illegible] खाता संख्या नया 70 व पुराना 73 में खसरा नंबर 99/824 रकबा 0[illegible] हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में [illegible]र लगभग 20 से 25 फीट चौडा रास्ता है। उक्त भूमि का वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासी रास्ते के रूप में ही अर्से दराज से पीढिदर पीठी उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि ही वादग्रस्त भूमि है। दिनांक 04.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने एकराय होकर उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि की कच्ची डोल को काटकर अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते को मिलाने का प्रयास किया व उक्त कच्ची डोल को जे0सी0बी0 की मदद से काटने लगे तो वादी व ग्रामवासियों ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 झगडे पर उतारू हो गए और वादी व ग्रामवासीयों को एलानियां धमकी दी कि उक्त रास्ते की हमेशा के लिए बंद कर देगें। जिससे की तुम इसका उपयोग–उपभोग नहीं कर सको और इसका बेचान भी हम कर देंगे। वाद कारण दिनांक 04.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास व अतिक्रमण करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी हैं।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 151 व पुराना 137 में खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित है व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 70 व पुराना 73 में खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित है उक्त 20 से 25 फिट चौडे रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण, अवरोध प्रतिवादीगण द्वारा पैदा नहीं किया जावें और वादी व ग्रामवासीयों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें, ना ही उक्त वादग्रस्त रास्ते की चौडाई को मौके पर कम करे और ना ही उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा करें, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही उनके एजेन्ट, सर्वेन्ट, हितबद्व व्यक्तियों से करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को निर्देशित किया जावे कि उक्त रास्ते का अलग से राजस्व रिकॉर्ड में खाता खोला जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें तथा वादी को वादग्रस्त रास्ते की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट–सर्वेन्ट से करावें तथा वादग्रस्त अराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सू[illegible] असल नक्शा ट्रेस, जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि पेश की जो शामिल पत्रावली [illegible] दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.05 हैक्टेयर मिन उत्तरदाता के रिकॉर्डेड खातेदारी की जमीन है, जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में है, जिससे वादी या अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। उक्त खातेदारी की जमीन वादी व अन्य ग्रामवासियों की पीढी दर पीढी रास्ते में उपयोग उपभोग में आती हो बल्कि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.05 हैक्टेयर मिन उत्तरदाता की रिकॉर्डेड खातेदारी की जमीन है जिसका शुरू से उपयोग उपभोग मिन उत्तरदाता करते आये है तथा यह जमीन पुर्व जाव के रूप में थी तथा इस जमीन पर मिन उत्तरदाता के अलावा किसी अन्य का आज तक कोई लेना देना नही रहा तथा वादी एवं अन्य लूणियावास के वासीदो व ग्रामवासियों आने जाने का रास्ते अलग बना हुआ है जो कदीम समय से बना हुआ है जिससे सभी लोग आते जात है जिसके साबिक खसरा नंबर 59/488, 78/491 है जिसका इन्द्राज रेवेन्यु नक्शे में भी किया गया है जिसके वर्तमान नंबर 99, 95, 56, 57, 55/821, 58/822 है जो रास्ते की रूप मं वादी एवं प्रतिवादीगण एवं आमजन के काम आ रही है तथा रिकॉर्ड में सरकारी के नाम यानी वर्तमान में जेडीए के नाम दर्ज गैर मुमकिन सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज है, जिस पर मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा इस सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज है, जिस पर मौके पर रास्ता बना हुआ है, तथा इस सरकारी रास्ते पर हाल में बंजरी कंकरी एवं सीमेन्ट की सी0सी0 रोड पक्की पुख्ता बनी हुई हैं मिन उत्तरदाता की उक्त रिकॉर्ड खातेदारी की विवादित जमीन से वादी या अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है तथा विवादित जमीन प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की जमीन है। वादी ने अपने दावा में यह कई दर्ज नही किया कि उसकी खातेदारी की जमीन कौन सी है, वादी कैसे कृषक है, वादी अपने बुजुर्गो के समय के कैसे व कौन से रास्ते से आता जाता था, वादी के आने जाने का रास्ता बुजुर्गो के समय से कौन सा था इत्यादि कथन जाबूझकर वादी ने अपने दावे में दर्ज नही किया क्योकि ऐसा करने पर मान्य न्यायालय के समक्ष सारी सच्चाई आ जाती। वादी ने सही तथ्यो को छिपाते हुए एवं मिथ्या कथन के आधार पर यह दावा पेश किया है, जिस आधार पर वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। [illegible] विशेष विवरण में अंकित है कि मिन प्रतिवादी संख्या [illegible] लगायत 4 की [illegible]दारी की जमीन के लगवा व अन्य लोगो की जमीन [illegible] सरकारी रास्ता बाराजी साबिक खसरा नंबर 59/488, 78/491 जिसके वर्तमान नंबर 99, 95, 56, 57, 55/821, 58/822 के रूप में बना हुआ है जो गैर मुमकिन सरकारी रास्ता

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर वर्तमान में मौके पर नगर निगम द्वारा कंकरीट सीमेन्ट का सीसी रोड बनाया गया है तथा यह रास्ते की जमीन वर्तमान में जेडीए के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। जब मौके पर वादी व प्रतिवादीगण की जमीन के बीच में सरकारी रास्ता बना हुआ है, रेवेन्यु रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में विवादित जमीन मिन प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज जमीन है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण की वाद मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वाद में तनकीयात कायम की गई जो निम्न है–

1. आया वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासी रास्ते के रूप में अर्से दराज से पीढिदर पीढी उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है?

..... जिम्मे वादी

2. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता को आम रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है?

..... जिम्मे वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?

....जिम्मे वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी या अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। वादी एवं अन्य ग्रामवासियों के आने जाने का रास्ता अलग से बना हुआ है जिसका खसरा नंबर 99, 95, 56, 57, 55/821, 58/822 है जो राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम गैर [illegible] के रूप में दर्ज है?

....जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

5. आया वादी का वाद रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व चलने योग्य नही होने से खारिज किय जाने योग्य है?

....जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 ता 4

6. अन्य अनुतोष!

वाद में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी की ओर से भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई। वकील वादी को बहस हेतु अवसर देने के उपरांत भी बहस नही करने पर वकील प्रतिवादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद का तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1 आया वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासी रास्ते के रूप में अर्से दराज से पीढिदर पीढी उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है? उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम लूनियावस तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 151 पुराना 137 के खसरा नंबर 99/823 व खाता संख्या नया 70 पुराना 73 के खसरा नंबर 99/824 कि किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है। लेकिन उक्त भूमि का वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासी रास्ते के रूप में अर्से दराज से पीढिदर पीढी उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है इसको सिद्व करने के लिए वादी ने पत्रावली में ना तो कोई ऐसा दस्तावेजात पेश किया है ना ही साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट हो की उक्त भूमि आम रास्ते के उपयोग में वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासीयों के आ रही हो। अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.0500 हैक्टेयर व खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता को आम रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर था चूंकि वादी यह सिद्व नही कर पाये है कि उक्त भूमि आम रास्ते के उपयोग में वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासीयों के आ रही हो। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नंबर 99, 95, 56, 57, 55/821, 58/822 वादी, प्रतिवादीगण एवं आमजन के लिए अलग रिकॉर्ड में सरकारी यानी जेडीए का आम रास्ता बना हुआ है। जिस का उपयोग वादी, प्रतिवादीगण एवं आमजन करते आ रहे है। ऐसे में निजी खातेदारी की वादग्रस्त आराजीयात को आम रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः यह तनकी भी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादी प्रतिवादीगण को जरि[illegible]षेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है उक्त तनकी [illegible] भी वादी पर था चूंकि तनकी संख्या 1 को वादी सिद्व नही कर पाये है [illegible]क्त भूमि आम रास्ते के उपयोग में वादी, प्रतिवादीगण व [illegible] के आ रही हो। जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अतः उक्त तनकी भी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 4 आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी या अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। वादी एवं अन्य ग्रामवासियों के आने जाने का रास्ता अलग से बना हुआ है जिसका खसरा नंबर 99, 95, 56, 57, 55/821, 58/822 है जो राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को सिद्व करने हेतु जमाबंदी संवत् 2069–72 ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 188 पुराना 179 के खसरा नंबर 95, 99 गै0मु0 रास्ता व 56, 57, 88/821, 58/822 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 99/823 व 99/824 प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है जिससे वादी यह सिद्व नही कर पाये है कि यह वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के आम रास्ते के उपयोग में आ रही हो। अतः यह तनकी खिलाफ वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 5 आया वादी का वाद रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व चलने योग्य नही होने से खारिज किय जाने योग्य है इसको सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था चूंकि तनकी नंबर 1,2,3,4 से स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के आम रास्ते के उपयोग में नही आ रही है। ऐसे में उक्त वाद चलने योग्य नही है। अतः यह तनकी भी वादी के खिलाफ व प्रतिवादीगण के पक्ष में नियत की जाती है।

तनकी नंबर 6 अन्य अनुतोष तनकी नंबर 1 से 3 को सिद्व करने का भार वादी पर था जो वादी सिद्व नही कर पाये और उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ निर्णित की गई है जबकि तनकी नंबर 4 व 5 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसको प्रतिवादीगण ने सिद्व कर दिया है व उक्त तनकी नंबर 4 व 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के खिलाफ निर्णित की गई है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 99/823 व 99/824 प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है व वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के आम रास्ते के उपयोग में नही आ रही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब
इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

बाबू खां **बनाम** रामनारायण वगै.

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/41/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तनकी नंबर 1 से 3 को सिद्व करने का भार वादी पर था जो वादी सिद्व नही कर पाये और उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ निर्णित की गई है जबकि तनकी नंबर 4 व 5 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसको प्रतिवादीगण ने सिद्व कर दिया है व उक्त तनकी नंबर 4 व 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के खिलाफ निर्णित की गई है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 99/823 व 99/824 प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी की भूमि है व वादी, प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों के आम रास्ते के उपयोग में नही आ रही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.12.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत [illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner